बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

: अधिसूचना :

संचिका संख्या : 01/स्था०–22/2024 5210 (S) **पटना, दिनांक** : 25/7/2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में पथ निर्माण विभाग के अधीन गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 21.07.2026 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों को मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर–13A) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री राज कुमार	785 1997/25	मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
2	श्री मुकेश कुमार	793 1997/43	मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :–

(क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

(ख) वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में है उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरूद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान् के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एव अन्य तथा एतद् संबंधी अन्य वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक : 01/स्था०–22/2024 5211 (S) पटना, दिनांक 25/7/2026

प्रतिलिपिः सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25.07.26

(सुमित वत्स),
अवर सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक : 01/स्था०–22/2024 5211 (S) पटना, दिनांक 25/7/2026

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई०टी० मैनेजर पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना)।

25.07.26

(सुमित वत्स),
अवर सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक : 01/स्था०–22/2024 5211 (S) पटना, दिनांक 25/7/2026

प्रतिलिपिः अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.07.26

(सुमित वत्स),
अवर सचिव (प्र०को०)।

10